

श्रीमती आनन्दकांत १/८ इंगरजि ह

2022/346

पत्र 153/2022

20⁵/₂₀₂₂ पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2022 के कोलोअप रिजिटर मु. दोपुंडा पर निस्तारण हेतु लाई जाने पर पेश हुई हमने पत्रावली का अपलोकन किया। पार्थिया ग्राम लाखा का खेडा प. व. ह. ओडुन्द स्थित आराजी संख्या 525 रकबा 1.0100 हे. की परबरागदी कराना चाहती हैं। पत्रावली से लालन नकल जमावती अनुमा। उक्त आराजी पार्थिया के नाम पर खोले गयी एक से दर्ज रेकार्ड है। अतः पार्थिया का पार्थिया पर अर्न्तगत खारा 128 CR. Met स्वीकार किया जाकर ग्राम लाखा का खेडा प. व. ह. ओडुन्द स्थित आराजी संख्या 525 रकबा 1.0100 हे. की भूमि की बिना बिना के कब्जे में दरवलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नम्बरो अनुसार परबरागदी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। शुल्क 1000.000/- अक्षरे एक हजार रुपय पार्थिया वहन करेगी। पालनार्थ तहसीलदार चिचोडगढ को लिखा जावे कि परबरागदी को लिखित सूचना देकर परबरागदी की जावे एवं पालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली के लाल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(श्याम सुन्दर विश्वादे)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चिचोडगढ (राज.)